Anveshan (अन्वेषण): A Multidisciplinary Journal in Hindi
Vol. 4, Issue 1 – 2020
ISSN: 2581-4044

संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्य

शशिकान्त तिवारी[1]

[1]असिस्टेन्ट प्रोफेसर, विधि विभाग, ब्रम्हानन्द कालेज, कानपुर

संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिये एक पवित्र एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि संविधान की दृष्टि में प्रत्येक भारतीय नागरिक देश की महत्वपूर्ण इकाई है तथा हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक के अधिकतम कल्याण के लिए समर्पित है। किसी देश का संविधान उसकी सभ्यता संस्कृति एवं शासन व्यवस्था का दर्पण होता है। उसकी प्रस्तावना से ही संविधान के दर्शन व आदर्श का संकेत मिल जाता है। प्रस्तावना में संविधान का लक्ष्य निहित रहता है। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से भी संविधान निर्माताओं के व्यापक दृष्टिकोण का परिचय मिलता है कि वे संविधान के माध्यम से किस प्रकार एक समृद्ध एवं समर्थ राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। इन रि बेरूबारी यूनियन एण्ड एक्सचेंज आफ एन्क्लेव्ज के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यक्त किया गया कि-संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है।

प्रस्तावना का आरम्भ 'हम भारत के लोग' से होता है। जिससे स्पष्ट है कि भारत के संविधान का श्रोत भारत की जनता है तथा इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हमारा संविधान सभी प्रकार के भेदभाव एवं पक्षपात से रहित है। यह व्यक्तियों के मध्य धर्म, जाति, राजनेता, जनता, शासन तंत्र आदि किसी भी आधार पर कोई भी भेद नहीं करता है। तथा ''हम भारत के लोग'' की भावना से यह भी अभिव्यक्त होता है कि हम सभी भारतीय अपने राष्ट्र को उन्नति एवं समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए संयुक्त रूप से वचनबद्ध एवं कर्तव्यबद्ध हैं। संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक भारतीय को संबोधित एवं सम्मिलित करती है। अतः इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है।

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

संविधान की प्रस्तावना उपबन्धित करती है कि:-

"हम भारत के लोग: भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिये दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई0 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत दो हजार छः विक्रमी) का एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ-बोध

प्रभुत्व-सम्पन्न- प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द प्रभुत्व सम्पन्न से इस बात का बोध प्राप्त होता है कि भारत आन्तरिक एवं बाह्य किसी भी दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत अपनी गृह एवं विदेश नीति के मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र है।

समाजवाद- माननीय उच्चतम न्यायालय ने डी0एस0 नकारा बनाम यूनियन ऑफ़ इण्डिया के वाद में शब्द समाजवाद की व्याख्या करते हुये कहा कि-'समाजवाद का मूल तत्व कर्मकारों एवं समाज के कमजोर वर्ग के जीवन स्तर का ऊँचा उठाना है। यह आर्थिक समानता और आय के समान वितरण का पक्षधर है।

पंथनिरपेक्ष- संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ ऐसे राष्ट्र से है, जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, वरन वह सभी धर्मों का समान समादर करता है।

लोकतंत्रात्मक- भारत के संविधान की आस्था लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति में है। हमारी शासन पद्धति जनता के लिये, जनता की ओर से, जनता के द्वारा संचालित होता है। हमारे जन-प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है तथा संसद और विधानमण्डलों में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जिम्मेदारी निभाते हैं।

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

गणराज्य- शब्द 'गणराज्य' वंशानुगत राजतंत्र के उन्मूलन का द्योतक है। भारत का राज्याध्यक्ष जनता का अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि 5 वर्ष के लिये चुना जाता है तथा देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय

संविधान की प्रस्तावना में अन्तर्निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था को अनुच्छेद 38 में स्थान दिया गया है। राज्य का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिये सामजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय को सुनिश्चित करे। इतना ही नहीं, राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वह आय, प्रतिष्ठा, सुविधा एवं अवसर की असमानता की खाई को पाटने का भी प्रयास करे। वस्तुतः असमानता ही सभी बुराइयों की जड़ है। इसकी जड़ को खोदना और उसे जड़-मूल से नष्ट करना संविधान का लक्ष्य है।

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता

अनुच्छेद-19 (1) (1) के द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression) प्रदान की गयी है। यह स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधार शिला है। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है-शब्दों, लेखों, मुद्रणों (Printing) चिन्हों या किसी अन्य प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना।

भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का एक अमूल्य अधिकार प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद-25 (1) सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है।

व्यक्ति की गरिमा

प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी अधिकारों में श्रेष्ठ है और संविधान का अनुच्छेद 21 इसी अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 उपबन्धित करता है कि-"किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा अन्यथा नहीं। मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ़ इण्डिया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि-प्राण का अधिकार केवल भौतिक

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें मानव गरिमा के अक्षुण्ण रखते हुये जीने का अधिकार सम्मिलित है।

अखण्डता

अखण्डता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है। इस शब्द का समावेश पृथकतावादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिये किया गया है। यह उपधारणा संविधान की संघात्मक प्रवृत्ति में ही निहित है। अनुच्छेद 1 में प्रयुक्त 'भारत राज्यों का एक संघ होगा' पदावली का प्रयोग संविधान के जनकों ने इसी उद्देश्य से किया है। इससे यह स्पष्ट है कि भारतीय संघ के किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है।

मूल कर्तव्य

संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में भाग-4क, अनुच्छेद 51क जोड़ा गया, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को स्थान दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद-51क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह:-

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
2. स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है;
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;
11. जो माता-पिता या संरक्षक हों वह छः से चौदह वर्ष के बीच की आयु के, यथास्थिति, अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा;

मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर नागरिकों को किस प्रकार से दण्डित किया जाये ? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि बनाकर मूल कर्तव्यों के उल्लंघन की दशा में दोषी व्यक्तियों के लिए दण्ड की व्यवस्था करे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि किसी नागरिक ने अपने मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किया है इस बात का निर्धारण कैसे होगा ? भारत की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है या फिर कम पढ़ी लिखी है और बहुत से लोग शिक्षित होते हुए भी संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। अतः यह प्रमुख रूप से आवश्यक है कि आम जनता को इस विषय में जानकारी प्रदान की जाये। ऐसा तभी संभव हो सकेगा, जब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वे शिक्षण संस्थायें हों या उनके कार्य और निवास के केन्द्र हों, मूल कर्तव्यों के सम्बन्ध में उन्हें जानकारी प्रदान की जाये। इसके लिए राज्य को महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होगा।

सन्दर्भ

1. भारत का संविधान-डा0 जय नारायण पाण्डेय, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी।
2. भारत का संविधान-डा0 बसन्ती लाल बावेल, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स।
3. भारत का संविधान-प्रो0 जी0 एस0 पाण्डेय, संशोधित-विनोद कुमार भादू, यूनिवर्सिटी बुक हाउस (प्रा0) लि0, जयपुर।

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.